ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक :–3प/मु०म०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/3867/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 28/4/2022

विषय :– पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन अवधि का विस्तार वित्तीय वर्ष 2022–23 तक किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय संकल्प संख्या–2935, दिनांक–22.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक विभागीय संकल्प के माध्यम से आप अवगत है कि पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के विस्तारित कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2021–2022 तक के लिए मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से स्वीकृति दी गयी थी।

विभाग एवं उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि अभी भी कतिपय जिलों के समस्याग्रस्त वार्डों में योजना का क्रियान्वयन शेष है।

प्रासंगिक विभागीय संकल्प की कंडिका–10 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् संचालन एवं उचित प्रबंधन हेतु विभागीय स्तर से प्रावधानित व्यवस्था के आलोक में समय–समय पर अग्रेतर निदेश दिया जा सकेगा।

वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में उल्लिखित है कि **"मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के विभिन्न कारणों से समस्याग्रस्त वार्डो में अपूर्ण अथवा अनाच्छादित क्षेत्र की योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा का विस्तार वित्तीय वर्ष 2022–23 तक की जाती है।"**

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27/4/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:–3प/मु०म०नि०यो०–19–04/2016(पार्ट–2)/3867/पं०रा० पटना, दिनांक 28/4/2022

प्रतिलिपि:–सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

208

ज्ञापांकः—3प/मु०म०नि०यो०—19—04/2016(पार्ट—2)/3867/पं०रा० पटना, दिनांक 28/4/2022

प्रतिलिपिः—विकास आयुक्त, बिहार/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार एवं सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/4/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक